राजस्व अपील संख्या 245 /2026 धारूराम वगैराह बनाम भीमाराम वगैराह

निर्णय **दिनांक 21 .04.2026**

1. अपीलान्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बायतू के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 11/2025 अनवान भीमाराम वगैराह बनाम बगताराम वगैराह में पारित आदेश दिनांक 03.02.226 के विरूद्व यह प्रथम अपील दिनांक 06.04.2026 को प्रस्तुत की गई जो दर्ज रजिस्टर की गई।

2. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक व दो के द्वारा अंतर्गत धारा 111,128 राज. भू-राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम बोखों की ढाणी तहसील गिड़ा में ख. सं. 429/249 रकबा 2.8409 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके पड़ौस में अपीलार्थीगण एवं अन्य रेस्पोडेन्टस की भूमि आई हुई है और पक्षकारान के मध्य सीमा/माठ को लेकर विवाद है। जिसके सम्बन्ध में पटवारी हल्का से सीमाज्ञान हेतु निवेदन किया गया लेकिन पटवारी हल्का के द्वारा मौके पर विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाई जाने की सलाह दिये जाने पर उक्त खसरा भूमि की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। उक्त नोटिस पक्षकारान से सम्यक रूप से तामील करवाये बिना ही उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर रेस्पो0 संख्या एक व दो की एकतरफा बहस सुनते हुए उक्त वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश दिनांक 3.2.2026 को पारित कर दिये। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.2.2026 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक व दो को स्वीकार करने में धारा 111, 128 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित कर दिया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में विप्रार्थीगण की तामीली सम्यक रूप से नहीं करवाई गई और आदेश पारित करने की बात को भी अपीलान्ट से छुपाया गया है और उन्हें सुनवाई व पक्ष रखे का जाने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष फर्द पैमाइश रिपोर्ट भी तैयार कर पेश नहीं की गई जबकि मौके पर कब्जे को लेकर विवाद है। मौके पर विवाद होने सम्बन्धी एक मौका फर्द दिनांक 3.1.2025 को तैयार की गई थी जिसमें ख0सं0 541/251, 540/251 पर खातेदारों का मौके पर कब्जा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

होना बताया गया है तो ऐसे में मोके पर पत्थरगढी की कार्यवाही की ही नहीं जा सकती थी। इस आधार पर भी आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त पत्थरगढी की कार्यवाही की आड़ में उनके कब्जे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जबकि प्रत्यर्थीगण कब्जे में परिवर्तन करवाना चाहते है।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का माप किये बगैर ही आलौच्य आदेश पारित हुआ है जिससे भी स्पष्ट होता है कि पडौसियों के खेत को मापे बगैर ही पारित किया गया है। पक्षकारों के मध्य तरमीम को लेकर हुए विवाद है तथा उपरोक्त खेत पडौसी के होने के कारण ओवरलेपिंग है। अपीलान्टस् ने मूल अप्रार्थीगण को अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योंकि उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, वे केवल प्रफार्मा पक्षकार है इसलिये उनको पक्षकार नहीं बनाये की छूट प्रदान की जावे। अतः उपरोक्त तथ्यों के आदेश पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.2.2026 को निरस्त किया जावें।

5. हमने अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति प्रकट की है कि अधीनस्थ न्यायालया के समक्ष रेस्पो. संख्या एक व दो के द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत उनके खेत खसरा भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अनुसार हम अपीलान्टस एवं अन्य विप्रार्थीगण को जारी नोटिस की तामीली सम्यक रूप से नहीं करवाई गई है और न ही उन्हें सुनवाई व पक्ष रखे का जाने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है जबकि वे ख0सं0 429/249 रकबा 2.8409 हैक्टर भूमि के पडौसी ख0सं0 541/251, 540/251 के खातेदार/काश्तकार है। इसके अतिरिक्त भूमि का सीमाज्ञान सम्बन्धी मौका फर्द में खेतों की सीमाएं ओवरलेपिंग हो रही है तथा अपीलान्टस का भूमि पर कब्जा होना बताया है, ऐसे में पत्थरगढी नहीं की जा सकती है अतः इन आधारों पर अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.2.2026 को निरस्त किया जावें।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

6. प्रकरण का अवलोकन किया गया। रेस्पो0 संख्या एक व दो की खातेदारी वाले खसरा ख0सं0 429/249 रकबा 2.8409 हैक्टर भूमि की सीमा के अन्दर तक अपीलान्टस् के ख0सं0 541/251, 540/251 का कब्जा होना दर्शाया हुआ है।

इसके अतिरिक्त अपीलान्टगण एवं अन्य विप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामील होने, उनके उपस्थित नहीं रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए एकपक्षीय बहस सुनने के उपरान्त पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के मध्यनजर प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वे प्रकरण का विधि के अनुसार निर्णय बहुपक्षीय रूप से करते, न कि प्रकरण का आनन–फानन में एकपक्षीय निस्तारण करते। इससे पक्षकारान के मध्य वाद की बाहुल्यता बढी है और अनावश्यक कानूनी कार्यवाही की ओर अग्रसर किया गया है। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त तथा अपील में दर्शाये गये ऑब्जर्वेशनस के मध्यनजर हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.2.2026 को निरस्त करते हुए वादग्रस्त खसरा भूमि के सम्बन्ध में सभी उभय पक्षकारान को अपना पक्ष रखने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने, आवेदनाधीन भूमि की मौका फर्द दिनांक 3.1.2025 का परीक्षण के पश्चात धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पूर्णत पालना करते हुए पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बायतू के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.2.2026 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवेदनाधीन खसरा भूमि के सम्बन्ध में मौका फर्द दिनांक 3.1.2025 को रिकार्ड पर ली जाकर परीक्षण करने तथा उभय पक्षकारान को अपना पक्ष तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पूर्णतः पालना करते हुए पुनः यथोचित आदेश पारित करे। निर्णय आज दिनांक 21/4/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

21/4/26.

(सुनिता चौधरी)
अति0 सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
सत्यमेव जयते
जोधपुर